<u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म०प्र०)</u>

<u>आप0प्रक0कं0-221 / 2013</u> <u>संस्थित दिनांक-13.03.2013</u> फाईलिंग नं.-234503002322013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, चौकी सालेटेकरी आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला–बालाघाट (म0प्र0) — — — — — — — — <u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरुद्</u>द / /

राजकुमार, पिता बैनी माधव प्रसाद मिश्रा, उम्र 53 साल, निवासी—ई.305 पार्क रेंजीडेन्सी तेली बांधा रायपुर (छतीसगढ़)

<u>आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-17/12/2015 को घोषित)</u>

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—09.03.2013 को शाम के लगभग 04.10 बजे, ग्राम अचानकपुर मेन रोड थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन आईटेन कार कमांक—सी. जी—04—एच.बी—7746 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं आहत चीमन मेरावी को उक्त वाहन से टक्कर मारकर उपहित कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी चीमन मेरावी ने दिनांक—09.03.2013 को चौकी सालेटेकरी मैं इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक—09.03.2013 को वह अपनी हीरो होण्डा स्पेलण्डर मोटरसायिकल कमांक—सी.जी—08—एन—9107 से भीमडोंगरी तरफ से दमोह अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था तभी अचानकपुर के मन्दिर के पास एक लाल रंग की कार कमांक सी.जी—04—एच.बी—7746 का चालक कार को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये दमोह तरफ से लाया और उसकी मोटरसायिकल को टक्कर मार दी, जिससे वह मोटरसायिकल से दूर छिटक गया और उसे सिर, हाथ व पैर में चोट लगी। फरियादी की

उक्त रिपोर्ट के आधार पर वाहन आईटेन कार क्रमांक—सी.जी—04—एच.बी—7746 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक—0/13, धारा—279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा, जिस पर थाना बिरसा की पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक—22/13 पर असल अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, वाहन जप्त कर, विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत चीमन मेरावी ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है जिस कारण आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा—279 भा.द.वि. का विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी की ओर से प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—09.03.2013 को शाम के लगभग 04.10 बजे, ग्राम अचानकपुर मेन रोड थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन आईटेन कार कमांक—सी.जी—04—एच.बी—7746 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

विचारणीय बिन्दू पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी / आहत चीमन मेरावी (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग दो साल पहले दिन के लगभग चार बजे गाम अचानकपुर के पास रोड की है। घटना दिनांक को वह अपनी मोटरसायिकल से ग्राम सरईपतेरा से दमोह की ओर अपनी साईड से जा रहा था तभी ग्राम अचानकपुर के पास सामने से एक चार पहिया वाहन आया और उसकी मोटरसायिकल को टक्कर मार दिया जिससे वह अपनी मोटरसायिकल से गिर गया और उसे सिर, हाथ व पैर में चोट आई। उसने टक्कर मारने वाले वाहन का नम्बर और उसके चालक को नहीं देख पाया था। उसने घटना की रिपोर्ट चौकी सालेटेकरी में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी—2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दुर्घटना में उसके वाहन का सामने का भाग पिचक गया था जिसे उसे लगभग 18,000/—रूपये का नुकसान हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त दुर्घटना चार पिहिया वाहन के चालक की लापरवाही से हुई थी।

6— उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट में एवं अपने पुलिस कथन में टक्कर मारने वाले वाहन का नम्बर सी.जी—04—एच.बी—7746 बताया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के समय आरोपी को घटनास्थल पर वाहन चलाते हुये नहीं देखा था तथा उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय और बयान देते समय वाहन का नम्बर नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को वह स्वयं शराब के नशे में था तथा उसकी लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—3 तैयार नहीं किया था तथा उसने प्रदर्श पी—3 पर हस्ताक्षर थाने में किये थे। इस प्रकार साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसे घटना के समय वाहन दुर्घटना के कारण चोट आई थी और उसका वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था, किन्तु साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है, जिस कारण यह प्रकट नहीं होता है कि उक्त दुर्घटना आरोपी के द्वारा ही की गई थी।

7— साक्षी गुलाब सागर (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वह आरोपी एवं आहत दोनों को नहीं जानता है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि दिनांक—09.03.2013 को करीब 04.00 बजे जब वह अपने घर के सामने रोड पर खड़ा था तो दमोह तरफ से एक लाल रंग की कार कमांक—सी.जी—04—एच.बी—7746 का चालक कार को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये लाया और मोटरसायिकल चालक को टक्कर मार दिया, जिससे मोटरसायिकल चालक एक तरफ छिटक गया और उसकी मोटरसायिकल एक तरफ छिटक गई थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके द्वारा मोटरसायिकल चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम चीमन मेरावी होना बताया था एवं उक्त कार खराब होने के कारण घटनास्थल पर खड़ी थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके द्वारा कार चालक का नाम पूछने पर कार चालक के स्वयं का नाम राजकुमार मिश्रा होना बताया था एवं उसने पुलिस को प्रदर्श पी—1 का कथन दिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी घटना का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है और न ही आरोपी की पहचान की है।

8— अनुसंधानकर्ता अधिकारी मनोज मांगरे (अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक—09.03.2013 को चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी चीमन मेरावी की मौखिक रिपोर्ट पर वाहन कमांक सी.जी—04—एच.बी—7746 के चालक के विरुद्ध अपराध कमांक—0/13, धारा—279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—2 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा था जिसे प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया के द्वारा असल प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—22/13, धारा—279, 337 भा.दं.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसे उक्त अपराध कमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक—09.03.2013 को फरियादी चीमन मेरावी की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त दिनांक को आहत चीमन मेरावी का मुलाहिजा फार्म भरकर मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा था। उसने उक्त दिनांक को ही प्रार्थी

चीमन मेरावी, साक्षी गुलाब, इन्द्रलाल, शिव नेवारे, दोहार, तपन, कृपाराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने दिनांक—09.03.2013 को ही घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष एक मोटरसायिकल कमांक सी.जी—08—एन—9107 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—6 अनुसार जप्त की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त दिनांक को आरोपी राजकुमार से साक्षियों के समक्ष एक कार कमांक सी.जी—04—एच.बी—7746 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—7 अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने जप्त धा, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने जप्तशुदा कार एवं जप्तशुदा मोटरसायिकल का विधिवत् मैकेनिकल मुलाहिजा कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

9— अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण साक्षी आहत चीमन मेरावी (अ.सा.2) एवं साक्षी गुलाब सागर (अ.सा.1) की साक्ष्य कराई गई, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन चलाकर उक्त दुर्घटना कारित किये जाने का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षीगण के अलावा मामले में अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है। मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की जप्ती एवं अन्य कार्यवाही के आधार पर यह मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार मामले में आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन चलाये जाने के संबंध में किसी भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। किसी भी साक्षी ने आरोपी की पहचान कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में भी नहीं की है। ऐसी दशा में घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चलाया जाना भी प्रमाणित न होने से आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

10— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राजकुमार ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन आईटेन कार कमांक—सी.जी—04—एच.बी—7746 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतएव आरोपी राजकुमार को

भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 11-

प्रकरण में जप्तशुदा हुन्डई आईटेन वाहन क्रमांक-सी.जी-04-एच. 12-बी-7746 को सुपुर्ददार संध्या मिश्रा पति राजकुमार, उम्र-42 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी ई/305 पार्क रेसीडेन्सी तेलीबांधा रायपुर छ.ग. को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे आथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

अली .प्र.श्रेणी, बैह ला–बालाघाट (सिराज अली)